न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 217 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कुमार सुयश अग्रवाल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02/02/2021	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक– 1597 / म0नि0को0, दिनांक–15.10.2020 से प्राप्त नगर थाना कांड सं0–67 / 20 दिनांक 24.02.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0– **BR06BJ-7827** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी कुमार सुयश अग्रवाल, पिता– स्व0 प्रेम कुमार अग्रवाल, साकिन– शिवाजी नगर जीतु गाछी, पो0– लालबाग, थाना– नगर, जिला– दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के क्रम में प्राप्त सूचना के सत्यापन के दौरान किलाघाट पुल के समीप पहुँचने पर देखा गया कि एक स्कूटी सामने से आ रहा है, जिसे रूकने का इशारा किया गया तो स्कूटी सवार स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास किया परन्तु पुलिस बल के सहयोग से पीछा कर पकड़ लिया गया। तत्पश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त स्कूटी रजि0 नं0– **BR06BJ-7827** की तलाशी लेने पर स्कूटी के सीट के नीचे से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 375 एम0एल0 का 12 (बारह) बोतल कुल 04.500 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा एवं विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का उक्त जब्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0– **BR06BJ-7827** से कोई मतलब नहीं है। विपक्षी द्वारा उक्त वाहन को अभिषेख कुमार सहनी, पिता– राम बाबू सहनी, साकिन– शिवाजी नगर मशरफ बाजार, दरभंगा के हाथ दिनांक 05.07.2019 को ही एकरारनामा के आधार पर बेच चुके है (बिक्री पत्र संलग्न)। उक्त जब्त वाहन से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उक्त वाहन के लिए जो भी आदेश किया जायेगा उससे विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0– **BR06BJ-7827** के सीट के नीचे से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 375 एम0एल0 का 12 (बारह) बोतल कुल 04.500 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।	

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा एवं विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा उक्त जब्त वाहन को बेच चुके है। साक्ष्य के रूप में बिक्री पत्र दाखिल किया गया है। परन्तु परिवहन कार्यालय के अनुसार उक्त वाहन अभी भी विपक्षी वाहन स्वामी के नाम पर ही है। उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विधिवत् दावा भी नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में नगर थाना कांड सं0–67/20 दिनांक 24.02.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0– **BR06BJ-7827** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा